भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1906

दिनांक 11.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

पीएमईजीआईपी के तहत रोजगार के अवसर

1906. श्रीमती अनीता शुभदर्शिनी:
श्री अमर शरदराव काले:
श्री नारायण तातू राणे:
श्रीमती पूनमबेन माडम:
श्री सुनील कुमार:
श्री परिमल शुक्ला बैद्य:
श्री अनन्त नायक:
सुश्री बाँसुरी स्वराज:
श्री मुकेश राजपूत:
श्रीमती डी. के. अरूणा:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीआईपी) के तहत पिछले चार वर्षों और चालू वित्त वर्ष में सृजित रोजगार अवसरों और समर्थित उद्यमों की वर्ष और राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) उक्त योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र और अनुसूचित जाति लाभार्थियों के लिए उपलब्ध विशेष प्रावधान क्या हैं;

(ग) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमईजीआईपी) के तहत बिना जमानत ऋण तक पहुंच बढ़ाने के लिए विशेषकर असम में उद्यमियों के लिए अपनाये गए उपाय जिसमें नवीन ऋण कोटियों की शुरूआत और इसके तहत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जिला स्तर की एजेंसियों के साथ समन्वय की क्या स्थिति है; और

(ङ) पीएमईजीआईपी के तहत पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश और बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में उक्त योजना के तहत लाभान्वित लोगों की कुल संख्या कितनी है तथा लंबित राजसहायता कितनी है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): विगत 4 वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25 और मौजूदा वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2025-26 (दिनांक 09.12.2025 की स्थिति के अनुसार) के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत राज्य-वार सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या और अनुमानित रोज़गार सृजन का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख): इस स्कीम के अंतर्गत, अनुसूचित जाति सहित विशेष श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण इलाकों में परियोजना लागत का 35% और शहरी इलाकों में 25% की उच्चतर अधिक मार्जिन मनी (एमएम सब्सिडी) के लिए पात्र हैं, जबकि सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए यह क्रमशः 25% और 15% है। विशेष श्रेणी के लाभार्थियों का स्वयं का अंशदान 5% होता है, जबकि विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए यह 10% है।

(ग): प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत, सदस्य ऋण-दाता संस्थाओं (एमएलआई) अर्थात अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं (एमएफआई) द्वारा संपार्श्विक-मुक्त संस्थागत ऋण प्रदान किया जाता है। कोई भी व्यक्ति, जो अन्यथा ऋण लेने के लिए पात्र है और जिसके पास लघु व्यवसाय उद्यम के लिए व्यवसाय योजना है, विनिर्माण, व्यापार और सेवा और कृषि से संबद्ध क्रियाकलापों से आय सृजन के लिए स्कीम के अंतर्गत चार ऋण श्रेणियों में 20 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकता है, अर्थात शिशु (50,000/- रुपये तक का ऋण), किशोर (50,000/- रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक का ऋण), तरूण (5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक का ऋण) और तरूण प्लस (10 लाख रुपये से अधिक और 20 लाख रुपये तक का ऋण- उन उद्यमियों के लिए जिन्होंने दिनांक 24.10.2024 तक 'तरुण' श्रेणी के अंतर्गत पिछले ऋणों का लाभ उठाया है और सफलतापूर्वक चुकाया है)।

अक्तूबर, 2025 की स्थिति के अनुसार, पीएमएमवाई के अंतर्गत कुल 55.38 करोड़ ऋण खातों में 36.18 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं, जिनमें से असम राज्य में दिनांक 08.04.2015 को इस स्कीम की शुरुआत के बाद से 1.23 करोड़ ऋण खातों में 0.71 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(घ): पीएमईजीपी के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जिला-स्तरीय एजेंसियों के साथ समन्वय बनाए रखने के लिए मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) अर्थात केवीआईसी, केवीआईबी, डीआईसी और कयर बोर्ड के राज्य कार्यालयों तथा वित्तीय संस्थानों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।
ii. स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तर पर राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी) और जिला स्तरीय निगरानी समिति (डीएलएमसी) की बैठकें आयोजित की जाती हैं।
iii. उचित ऋण मंजूरी और मार्जिन मनी संवितरण सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष स्तरीय बैंकर्स बैठक, राज्य स्तरीय बैंकर्स बैठकें और जिला स्तरीय बैंकर्स बैठकें नियमित आधार पर आयोजित की जाती हैं।
iv. लाभार्थियों के ऋण खाते में मार्जिन मनी सब्सिडी के समायोजन तक पीएमईजीपी आवेदन की पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए पीएमईजीपी पोर्टल मौजूद है।

(ङ): विगत 3 वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पीएमईजीपी के अंतर्गत सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या नीचे दी गई है:

वित्तीय वर्ष	**उत्तर प्रदेश में सहायता-प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या**	**बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में सहायता-प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या**
2022-23	11,601	112
2023-24	11,689	207
2024-25	5,518	142

*****

अनुलग्नक-I

दिनांक 11.12.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1906 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-I

विगत 4 वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25 तक तथा मौजूदा वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2025-26 (दिनांक 09.12.2025 की स्थिति के अनुसार) के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत राज्य-वार सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या और अनुमानित रोज़गार सृजन:

क्र. सं.	राज्य	वर्ष 2021-22		वर्ष 2022-23		वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25		2025-26 (दिनांक 09.12.2025 तक)	
		सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	अनुमानित रोज़गार सृजन	सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	अनुमानित रोज़गार सृजन	सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	अनुमानित रोज़गार सृजन	सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	अनुमानित रोज़गार सृजन	सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	अनुमानित रोज़गार सृजन
1	आंध्र प्रदेश	2,477	19,816	3,073	24,584	5,577	44,616	3,249	25,992	5,704	45,632
2	अरुणाचल प्रदेश	196	1,568	158	1,264	169	1,352	156	1,248	53	424
3	असम	3,855	30,840	2,596	20,768	2,417	19,336	3,170	25,360	1,166	9,328
4	बिहार	2,477	19,816	4,459	35,672	6,837	54,696	5,035	40,280	4,267	34,136
5	छत्तीसगढ़	3,020	24,160	2,543	20,344	2,379	19,032	1,853	14,824	850	6,800
6	गोवा	87	696	66	528	68	544	39	312	23	184
7	गुजरात*	4,143	33,144	3,071	24,568	3,000	24,000	1,783	14,264	1,700	13,600
8	हरियाणा	1,726	13,808	1,559	12,472	1,398	11,184	788	6,304	910	7,280
9	हिमाचल प्रदेश	1,274	10,192	930	7,440	974	7,792	796	6,368	560	4,480
10	जम्मू एवं कश्मीर	21,648	1,73,184	12,023	96,184	15,065	1,20,520	9,863	78,904	6,060	48,480
11	झारखंड	1,714	13,712	1,851	14,808	2,101	16,808	1,452	11,616	712	5,696
12	कर्नाटक	5,877	47,016	5,618	44,944	4,672	37,376	2,839	22,712	2,995	23,960
13	केरल	2,789	22,312	3,129	25,032	3,389	27,112	2,260	18,080	1,928	15,424
14	मध्य प्रदेश	8,082	64,656	5,957	47,656	5,292	42,336	2,626	21,008	1,624	12,992
15	महाराष्ट्र**	4,128	33,024	3,625	29,000	2,766	22,128	1,857	14,856	2,226	17,808
16	मणिपुर	1,139	9,112	545	4,360	348	2,784	608	4,864	235	1,880
17	मेघालय	699	5,592	306	2,448	280	2,240	1,114	8,912	249	1,992
18	मिजोरम	650	5,200	412	3,296	401	3,208	484	3,872	137	1,096
19	नागालैंड	1,241	9,928	469	3,752	517	4,136	1,262	10,096	347	2,776

क्र. सं.	राज्य	वर्ष 2021-22		वर्ष 2022-23		वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25		2025-26 (दिनांक 09.12.2025 तक)	
		सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	अनुमानित रोज़गार सृजन	सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	अनुमानित रोज़गार सृजन	सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	अनुमानित रोज़गार सृजन	सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	अनुमानित रोज़गार सृजन	सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	अनुमानित रोज़गार सृजन
20	ओडिशा	4,301	34,408	3,880	31,040	2,975	23,800	1,867	14,936	2,612	20,896
21	पंजाब	1,790	14,320	1,564	12,512	1,469	11,752	970	7,760	1,106	8,848
22	राजस्थान	2,599	20,792	2,037	16,296	1,678	13,424	916	7,328	1,494	11,952
23	सिक्किम	85	680	57	456	132	1,056	316	2,528	135	1,080
24	तमिलनाडु	5,972	47,776	6,140	49,120	6,814	54,512	3,949	31,592	5,406	43,248
25	तेलंगाना	2,906	23,248	2,540	20,320	2,503	20,024	1,850	14,800	1,909	15,272
26	त्रिपुरा	958	7,664	703	5,624	588	4,704	730	5,840	284	2,272
27	उत्तर प्रदेश	12,594	1,00,752	11,601	92,808	11,689	93,512	5,518	44,144	6,730	53,840
28	उत्तराखंड	1,836	14,688	1,803	14,424	1,354	10,832	734	5,872	500	4,000
29	पश्चिम बंगाल	2,305	18,440	2,126	17,008	1,919	15,352	1,359	10,872	734	5,872
कुल		1,02,568	8,20,544	84,841	6,78,728	88,771	7,10,168	59,443	4,75,544	52,656	4,21,248

** दमन और दीव सहित ** दादरा और नगर हवेली सहित*

अनुलग्नक-II

दिनांक 11.12.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1906 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-II

अक्तूबर, 2025 की स्थिति के अनुसार, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ऋण खातों की संख्या और संवितरित राशि नीचे दी गई है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ऋण खातों की संख्या	संवितरित राशि (रुपए करोड़ में)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	55,898	1,226.84
2	आंध्र प्रदेश	11,033,261	131,247.49
3	अरुणाचल प्रदेश	164,712	2,052.93
4	असम	12,330,451	71,459.56
5	बिहार	63,847,937	317,697.23
6	चंडीगढ़	204,011	3,424.69
7	छत्तीसगढ़	10,523,472	65,110.99
8	दादरा और नगर हवेली और दमण और दीव	45,746	862.79
9	दिल्ली	3,652,818	44,500.24
10	गोवा	398,927	5,623.39
11	गुजरात	16,640,161	142,136.92
12	हरियाणा	10,063,212	78,625.05
13	हिमाचल प्रदेश	1,191,345	23,634.43
14	झारखंड	16,255,618	86,067.87
15	कर्नाटक	51,870,671	330,793.31
16	केरल	18,068,849	129,591.70
17	लक्षद्वीप	13,628	208.56
18	मध्य प्रदेश	33,225,036	195,931.27
19	महाराष्ट्र	44,147,441	309,983.76
20	मणिपुर	468,959	3,217.75
21	मेघालय	316,102	3,205.44
22	मिजोरम	178,419	3,069.73
23	नागालैंड	179,726	2,598.53
24	ओडिशा	35,086,552	164,500.63
25	पुदुचेरी	1,275,874	8,280.73
26	पंजाब	10,240,432	83,361.76
27	राजस्थान	23,768,209	190,333.37
28	सिक्किम	181,080	1,884.13
29	तमिलनाडु	60,865,783	356,712.63
30	तेलंगाना	8,391,389	83,130.52
31	त्रिपुरा	3,400,009	19,602.85
32	जम्मू और कश्मीर	2,379,745	51,245.86
33	लद्दाख	69,791	2,090.56
34	उत्तर प्रदेश	55,299,821	356,190.56
35	उत्तराखंड	3,507,300	33,627.29
36	पश्चिम बंगाल	54,552,866	315,111.39
	कुल	**553,895,251**	**3,618,342.75**
स्रोत: सदस्य ऋणदाता संस्थाओं (एमएलआई) द्वारा मुद्रा पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार।			